

वकील (अधीनस्थ) का पत्र
को प्रेषित है।

३

संख्या
५
श्री ५
कचहरी पीपल

वकील इकामपद उपस्थित जारी संकेत
॥ स्वयं उपस्थित। उसकी पहचान वकील
वादी ने की। प्राथमिक रूप आदेश 23 R।
CPC पर वकील वादीगण के मुताबिक
वादीगण अपना दावा विद्वे करना चाहते
हैं। पत्रावली का अवलोकन किया, वहाँ
वकील वादीगण का जवाब दिया। वादी अपना
दावा किसी भी स्तर पर विद्वे कर सकत
हैं। अतः आदेश 23 नियम 1 CPC के प्रावधानों
के अन्तर्गत वादीगण का दावा विद्वे की अनुमति
दी जाती है। दावा वादीगणविद्वे के आधार
पर स्वीकृत किया जाता है। पत्रावली में संलग्न
होकर दाखिल दफ्तर है।